राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 249/2025

गिरधारी लाल बिजारणिया

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. निदेशालय, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेटनरी हॉस्पीटल, ढाणी पाण्डुसर, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	22.01.2025
आदेश की दिनांक	:	28.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.एस. भलेरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एलएसए के पद पर पशु चिकित्सालय, ढाणी पाण्डूसर, बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र किशनासर जिला बीकानेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में यात्रा–भत्ता देय होने का अंकन नहीं किया है। अपीलार्थी ने अपनी स्वयं की ईच्छा से अपना स्थानांतरण नहीं चाहा है। ऐसे में अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता देय नहीं होना नियम विरूद्ध है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया। हम पाते है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी को यात्रा भत्ता देय होने का

अंकन नहीं किया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी के संबंध में जांच करे एवं अपीलार्थी द्वारा उसकी स्वयं की ईच्छा के अनुसार स्थानांतरण नहीं हुआ है, तो उसे नियमानुसार यात्रा–भत्ता प्रदान किया जावे।

4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)